<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-16 / 715/12-3-15-100(48)/2012</u>

प्रेषक

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊः: दिनांकः 15 अप्रैल, 2015**

विषयः- प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किये जाने वाले संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस.एफ./1241टी./संकर बीज कार्य/2014-15 दिनांक 24.3.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किये जाने वाले संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में कृषक किसी भी कम्पनी का भारत सरकार द्वारा नोटीफाइड संकर बीज, जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो, उसका क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

1. 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक इच्छुक कृषकों का पंजीकरण किया जाएगा।
2. 29 अप्रैल को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयनित लाभार्थियों/कृषकों को सूचित कर दिया जाएगा तथा सूची विकास खण्ड स्तर पर भी लगा दी जायेगी।

3- बीजों की विकासखण्ड स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश के 06 मण्डलों में 01 मई से 07 मई तक, 08 मई से 14 मई तक अन्य 06 मण्डलों में तथा 15 मई से 21 मई तक शेष मण्डलों में कम्पनियों के स्टॉल विकासखण्ड स्तर पर लगवाकर बिक्री का आयोजन कराये जायेंगे।

4- कृषकों को पूर्ण मूल्य पर बीज क्रय करना होगा तथा अनुदान की धनराशि सीधे कृषकों के खाते में भेजी जाएगी।

5- कृषको के पहुंचते ही एक निर्धारित प्रारूप पत्र पर अपना विवरण इंगित करना होगा। पंजीकरण जिस पर विकासखण्ड स्तर पर कृषि विभाग के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर होने के बाद कृषक अपनी स्वेच्छा से भूमि के स्वामित्व के क्षेत्र के अनुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

परन्तु अधिकतम 02 हे0 क्षेत्र के लिए ही संकर बीज क्रय करना अनुमन्य होगा। तत्पश्चात निर्धारित प्रारूप के साथ अपना कैशमेमो संलग्न कर विकासखण्ड स्तर पर अधिकृत कर्मचारी के पास अनुदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए जमा कर देगा। प्रारूप प्राप्त करने पर हस्ताक्षर करते हुए कर्मचारी काउण्टर फाइल कृषक को उपलब्ध करा देगा। प्रारूप पर उसके बैंक/शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड नम्बर और सेविंग एकाउण्ट नंबर इंगित रहेगा।

6- जिला कृषि अधिकारी का दायित्व होगा कि अनुदान के भुगतान हेतु प्रारूप एवं कैश मेमो सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा देंगे, तत्पश्चात अनुदान की धनराशि 10 दिन के अन्दर उप कृषि निदेशक सीधे कृषक के खाते में स्थानान्तरित कर देंगे, उक्त प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए अप्रैल 2015 से ही कृषकों का ऑन लाइन पंजीकरण कराया जाएगा और विकासखण्ड स्तर पर प्रसार कराया जाएगा।

7- संकर बीज वितरण के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्र में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा।

8- कृषकों को अच्छी प्रजाति/गुणवत्ता के बीज प्राप्त हों, इसके लिए सम्बन्धित फर्मो से परफामेर्न्स बैंक गारण्टी के रूप में विक्रय मूल्य के सापेक्ष प्रति 100 विकास खण्डपर व्यवसाय करने पर 10.00 लाख अर्थात 800 विकास खण्डों पर व्यवसाय करने पर रू0 80.00 लाख की धनराशि इस आशय से ली जाएगी कि कृषकों के यहां बीज की गुणवत्ता/परफार्मेंस खराब होती है तो धरोहर धनराशि से सम्बन्धित कृषकों को क्षतिपूर्ति करायी जाएगा।

9- सम्बन्धित कम्पनियों/फमोर्ं से यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि विकास खण्ड स्तरीय बीज विक्रय अभियान की दर से कम दर पर बीज का विकय नहीं करेंगे। उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित कम्पनी को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

10- विक्रेताओं के द्वारा कृषकों को रसीद दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से एक प्रति कृषक के द्वारा कृषि विभाग को दी जाएगी।

11- प्रत्येक दिन कृषकों को वितरित किये जाने वाले बीज से सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची एक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा, जिसे सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सत्यापित करायी जाएगी।

12- विकास खण्ड स्तर पर संकर बीज विक्रय का कार्यक्रम कम्पनियों द्वारा 10:00 से 04:00 बजे सांय तक किया जाएगा। संकर बीज के विक्रय की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जाएगी, जिसका प्रारूप निम्नवत है:-

क्र.स.	**कृषक का नाम**	**पता**	**बीज की मात्रा/प्रजाति**	**कुल मूल्य**	**अनुदान की धनराशि**	**मोबाइल नं0**
1	2	3	4	5	6	7

http://shasanadesh.up.nic.in

13- कृषि विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बीज वितरण की कार्यवाही की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जाएगी तथा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाकर मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक को प्रेषित की जाएगी।

14- खरीफ/रबी फसलों के लिए संकर बीज के अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप निम्नवत् होगा:-

<u>कृषक के द्वारा भरा जाएगा:-</u>

1- जनपद .....

2- तहसील .....

3- विकासखण्ड .....

4- राजस्व ग्राम का नाम .....

5- कृषक का नाम एवं पिता का नाम .....

6- गाटा/खसरा नम्बर .....

7- क्षेत्रफल .....

8- बैंक शाखा का नाम .....

9- बैंक खाता संख्या .....
आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. हेतु

10- आई.एफ.एस.सी. कोड .....

11- फसल/प्रजाति का नाम .....

12- मात्रा .....

.....
हस्ताक्षर कृषक

<u>कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा</u>

13- कृषक अंश की धनराशि .....

(1) केन्द्र अनुदान की धनराशि .....

(2) राज्य अनुदान की धनराशि .....

14- कुल मूल्य .....

x.....यहां ..... x.....से ..... x.....फाड़ .....दें x

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>प्राप्ति रसीद</u>

श्री .....पुत्र .....ग्राम .....ब्लॉक .....जनपद .....से .....फसल.....प्रजाति .....संकर बीज मात्रा .....कि.ग्रा. कैशमेमो दिनांक .....को प्राप्त किया।

अनुदान की दर :

1. संकर धान
2. संकर मक्का
3. संकर बाजरा
4. संकर ज्वार
5. .....

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सील

15- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

<u>सं**0-**715**(1)/12-3-2015-**तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारित विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12- निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) कृषि भवन, लखनऊ।
14- समस्त परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
15- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
21- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in